भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2424

03 दिसम्बर, 2019 के लिए प्रश्न

तमिलनाडु में एफसीआई गोदाम

2424. श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में एफसीआई के मौजूदा तथा प्रस्तावित गोदामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तिरुवन्नामलाई में उत्पादित चावल के भण्डारण हेतु एफसीआई के गोदामों का निर्माण किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो उक्त गोदामों का निर्माण कब तक किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) से (घ): तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के स्वयं के गोदामों और इसके द्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी), निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम से किराए पर लिए गए गोदामों एवं साईलो का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े लाख टन में)

स्वयं के	किराए पर लिए गए					योग
	सीडब्ल्यूसी	एसडब्ल्यूसी	पीईजी	साईलो	किराए पर ली गई कुल क्षमता	
5.80	2.86	1.87	1.20	0.50	6.43	12.23

तिरूवन्नमलाई में पीईजी स्कीम के तहत निर्मित 20,000 टन क्षमता का एक गोदाम पहले से ही है। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य भंडारण निगम से 6,000 टन क्षमता का एक गोदाम भी किराए पर लिया गया है। स्थानीय आवश्यकताओं के लिए दोनों गोदाम पर्याप्त हैं।

*****